Notification

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1457] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 10, 2016/ज्येष्ठ 20, 1938
No. 1457] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 10, 2016/JYAISTHA 20, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 8 जून, 2016

का.आ. 2060(अ).—केन्द्रीय सरकार, ने का.आ. 935(अ) तारीख 31 मार्च, 2015 द्वारा जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा एक वर्ष के अवधि के लिए केरल तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण गठित किया था और उक्त प्राधिकरण की अवधि 30 मार्च, 2016 को समाप्त हो गई थी ;

और केंद्रीय सरकार का अभिमत है कि ऐसे प्राधिकरण का अवश्य पुनर्गठन किया जाना चाहिए ;

केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार की अधिसूचना को अधिक्रांत करते हुए, सं. का.आ. 795(अ), तारीख 31 मई, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना को अधिक्रांत करते हुए जिसे उन बातों के सिवाय अधिक्रमण किया गया है या लोप किया गया है, राजपत्र में इस प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त तीन वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनने वाली केरल तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) गठित करती है, अर्थात् :-

1.	प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग, केरल राज्य	अध्यक्ष
2.	प्रधान सचिव, स्थानीय स्वायत्त सरकारी विभाग, केरल राज्य या उसका नामनिर्देशिती	सदस्य
3.	सचिव, मत्स्य पालन विभाग, केरल राज्य या उसका नामनिर्देशिती	सदस्य
4.	प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, केरल राज्य या उसका नामनिर्देशिती	सदस्य
5.	सचिव, राजस्व विभाग, केरल राज्य या उसका नामनिर्देशिती	सदस्य
6.	सचिव, शहरी कार्य विभाग, केरल राज्य या उसका नामनिर्देशिती, तिरुवंतपुरम	सदस्य
7.	आचार्य, एम.आर. मेनन, संकाय विज्ञान और तकनीकी के कोचीन विश्वविद्यालय	सदस्य-विशेषज्ञ

8.	डा. एन.बी. कूरियन, भूतपूर्व निदेशक, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र	सदस्य-विशेषज्ञ
9.	डा. के.पी. लालधास, सदस्य सचिव, केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड	सदस्य-विशेषज्ञ
10.	ए.डी.बी. प्रकाश सी. वडक्कन, वडक्कन हाउस, वंथीनायूडू, डा. घ. पलाई	सदस्य-विशेषज्ञ
11.	डा. एम.आई. एंड्रूज, कोट्टयम	सदस्य-गैर सरकारी संगठन
12.	सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केरल	सदस्य-सचिव

1. प्राधिकरण को तटीय विनियम जोन अनापत्ति के लिए उसके समक्ष सभी मामलों प्राप्त प्रस्तावों को प्रक्रियाबद्ध करते हुए भारत सरकार की पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 19(अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, प्राधिकारी सभी पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा स्पष्टीकरणों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार सभी शक्तियां होंगी।

2. प्राधिकरण, संरक्षण के प्रयोजनों के लिए और तटीय पर्यावरण की क्वालिटी सुधार करते हुए और निवारक, उपशमन करते हुए तथा केरल राज्य में तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में प्रदूषण पर्यावरणीय नियंत्रण करेगा, निम्नलिखित उपायों को करेगा, अर्थात् :--

(i) परियोजना के प्रस्ताव हेतु अनुमोदन के लिए आवेदन प्राप्त करना और समान समीक्षा करना यदि तटीय जोन प्रबंध योजना के लिए अनुमोदन के अनुसार है और संख्या का.आ. 19(अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना तटीय विनियमन जोन की अपेक्षा से संकलन करता है तथा ऐसे आवेदन की तारीख की प्राप्ति से साठ दिन के भीतर, उक्त अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट संबद्ध प्राधिकरण के लिए ऐसी परियोजना के अनुमोदन के लिए सिफारिश करना ;

(ii) उक्त अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट तटीय विनियमन जोन में विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमन करना ;

(iii) उक्त प्रवृत्त करना और उक्त अधिसूचना के उपाबंधों की निगरानी करना ;

(iv) परिवर्तन के लिए या तटीय विनियमन जोन के और तटीय प्रबंधन योजना में वर्गीकरण में उपांतरण राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा करना और राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण के पश्चात् हेतु विनिर्दिष्ट सिफारिश करना।

3. प्राधिकरण की शक्ति के पास शक्ति के लिए--

(क) उक्त अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अभिकथित उल्लंघन की दशा में जांच करेगा यदि आवश्यक प्रतीत हो तो ऐसे किसी विनिर्दिष्ट मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन ऐसे निदेश जारी करेगा जो कि न तो राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या न ही केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निदेशों से असंगत हों ;

(ख) उक्त अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के उल्लंघनों में अंतर्ग्रस्त मामलों का पुनर्विलोकन करेगा यदि आवश्यक प्रतीत हों तो राष्ट्रीय तटीय जोन प्राधिकरण द्वारा पुनर्विलोकन करने के लिए अपनी टिप्पणियों के साथ ऐसे मामलों को निर्दिष्ट करेगा:
परंतु प्राधिकरण उल्लंघनों के मामलों की जांच या पुनर्विलोकन स्वप्रेरणा से या किसी व्यष्टि या प्रतिनिधि निकाय या संगठन द्वारा की शिकायत के आधार पर करेगा;

4. प्राधिकरण, जिला तटीय जोन निगरानी समिति के कृत्यों को विनियमित रूप से पुनर्विलोकन करेगा।

5. प्राधिकरण की बैठक में गणपूर्ति, इसके सदस्यों और एक सदस्य से भिन्न पदेन सदस्य कुल संख्या की एक तिहाई होगी, केंद्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित मानियमों के अनुसार भत्ते संदत्त किए जाएंगे।

6. प्राधिकरण, जब कभी इसकी बैठक के दौरान ऐसे सदस्यों के रूप में आमंत्रित करने अन्य विशेषज्ञों को अपेक्षित कर सके और यात्रा भत्ता, मंहगाई भत्ता, आसीन फीस क्षेत्र दौरा और विशेषज्ञ सदस्यों के अन्य भत्ते कर सकेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाएगा।

7. भारत सरकार के राजपत्र असाधारण भाग-II खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 19 (अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण)

अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अधीन निदेशों की जारी शक्तियां प्राधिकरण और प्राधिकरण के अध्यक्ष के प्रत्यायोजित की जाती है। यदि निदेश द्वारा जारी किए जाते हैं तो ऐसे निदेश, निदेश जारी रहने के लिए कारणों से विनिर्दिष्ट करते हुए एक रिपोर्ट और उसकी प्रास्थिति सहित प्राधिकरण के समक्ष उसकी बैठक में रखी जाएगी ।

8. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित पर्यावरणीय मुददों के साथ बर्ताव करेगा जिसे राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण या केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सके ।

9. भारत सरकार के राजपत्र असाधारण भाग- II खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 19 (अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 में प्रकाशित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में उपाबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी संबद्ध योजना प्राधिकरणों, क्षेत्र अभिकरणों, जिला कलक्टर निदेश के लिए प्राधिकरण के पास शक्ति होगी और अतिक्रमण अननुपालन के मामले में युक्तियुक्त कार्रवाई करेंगे ।

10. प्राधिकरण अपने कार्यकरण में पारदर्शिता बनाए रखने के प्रयोजनों के लिए एक समर्पित वेबसाइट तैयार करेगा और वेबसाइट पर कार्यसूची,कार्यवृत्त किए गए विनिश्चय, अभ्यावेदन पत्र उल्लंघन और ऐसे उल्लंघनों पर की गई कार्रवाई न्यायालय मामले, जिसके अंतर्गत न्यायालय के आदेश भी हैं और राज्य सरकार के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना को डालेगा ;

11. प्राधिकरण तटीय जनसंख्या संरक्षण या अन्य परियोजनाएं की उन्नति से संबंधित संरक्षण परियोजनाएं या परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए समन्वयक होगा ।

12. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस आदेश और उक्त अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट प्रभावी कृत्यों को निर्वहन हेतु प्राधिकरण के लिए पर्याप्त संसाधनों, मानव शक्ति निधियां उपलब्ध हों ।

13. प्राधिकरण, राज्य सरकार आदि से प्राप्त निधियों के निक्षेप की निधियों के लिए राष्ट्रीय बैंक में बैंक खाता होगा ।

14. प्राधिकरण सभी आवश्यक उपाय और पहलों में करेगा जिसके अंतर्गत कार्यक्रम निष्पादन, अनुसंधान, सूचना, प्रसार, प्रशिक्षण, जागरूकता दिन-प्रतिदिन कृत्य और समर्थन तथा ऐसे अन्य उपाय और उपयुक्त प्रक्रिया और साधन हैं, जिसके अंतर्गत संसाधन जुटाना, वित्त पोषण और अन्य प्रक्रियाएं और उसके लिए साधन है ।

15. राष्ट्रीय तटीय जोन प्राधिकरण और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित संख्या का.आ. 19(अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 पर्यावरण और वन मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना में प्राधिकरण अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार राज्य में तटीय विनियमन जोन माप चित्रों के लिए सुपुर्द करेगा ।

16. प्राधिकरण, उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के अननुपालन के किसी व्यक्ति के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करेगा ।

17. राष्ट्रीय तटीय जोन प्राधिकरण अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा ।

18. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केंद्रीय सरकार के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे ।

19. प्राधिकरण का क्षेत्र और अधिकारिता के भीतर न आने वाले किसी विनिर्दिष्ट रूप से मामले संबद्ध कानूनी प्राधिकारियों द्वारा बरता जाएगा ।

20. प्राधिकरण उसका मुख्यालय तिरुवंतपुरम में स्थित होगा ।

[फा. सं. जे-17011/26/2007-आईए- III (पीटी)]

विश्वनाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

ORDER

New Delhi, the 8th June, 2016

S.O. 2060(E).—Whereas, by a notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part – II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 935(E), dated the 31st March, 2015, the Central Government constituted the Kerala Coastal Zone Management Authority for a period of one year and the term of the said Authority expired on 30th March, 2016;

And, whereas, the Central Government is of the view that the such Authority must be reconstituted;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part –II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 935(E), dated the 31st March 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes the Kerala Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

1.	The Principal Secretary, Environment Department, Government of Kerala	Chairman ;
2.	The Principal Secretary, Local Self Government Department, Government of Kerala or his nominee	Member ;
3.	The Secretary, Fisheries Department, Government of Kerala or his nominee	Member ;
4.	The Principal Secretary, Industries Department, Government of Kerala or his nominee	Member ;
5.	The Secretary, Revenue Department, Government of Kerala or his nominee	Member ;
6.	The Secretary, Urban Affairs Department, Government of Kerala or his nominee, Thiruvananthapuram	Member ;
7.	Prof. M. R. Menon, Dean, Cochin University of Science and Technology	Member-Expert ;
8.	Dr. N.B. Kurian, Former Director, National Centre for Earth Science Studies.	Member-Expert ;
9.	Dr. K.P. Laladhas, Member Secretary, Kerala State Bio-Diversity Board	Member-Expert ;
10.	Adv. Praksh C. Vadakkan, Vadakkn House, Anthinadu P.O, Palai.	Member-Expert ;
11.	Dr. M.I. Andrews, Kottayam	Member-Non Governmental Organisation ;
12.	The Member Secretary, Pollution Control Board, Kerala	Member Secretary.

1. The Authority shall have the power to process all the matters, proposals received, referred to or placed before it for coastal regulation zone clearance in accordance with the procedure laid down in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 19 (E), dated the 6th January, 2011, and clarifications and guidelines issued by the Ministry of Environment and Forests.

2. The Authority shall, for the purposes of protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the coastal regulation zone areas in the State of Kerala, take the following measures, namely:-

(i) receive application for approval of project proposal and examine the same if it is in accordance with the approved Coastal Zone Management Plan and complies with the requirement of the Coastal Regulation Zone notification issued by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide number S.O. 19(E), dated the 6th January, 2011 (herein after referred to as the said notification), and make recommendations for approval of such project to the concerned authority as specified in the said notification, within a period of sixty days from date of receipt of such application;

(ii) regulate all developmental activities in the Coastal Regulation Zone as specified in the said notification;

(iii) enforce and monitor the provisions of said notification;

(iv) examine the proposals received from the State Government for change or modification in the classification of Coastal Regulation Zone and in the Coastal Zone Management Plan and make specific recommendation thereon, to the National Coastal Zone Management Authority thereafter.

3. The Authority shall have power to

(a) inquire into cases of alleged violation of the provisions of the said Act and the rules made thereunder or any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary, in any specific case, issue such direction under section 5 of the said Act as are not inconsistent with the directions issued in that specific case either by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(b) hold review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder, or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and if found necessary, refer such cases, along with its comments for review by the National Coastal Zone Management Authority:

Provided that such review of cases of violation may be taken up by the Authority suo-motu, or on the basis of a complaint made by any individual or representative body or organisation;

4. The Authority shall regularly review the functioning of the District Coastal Zone Monitoring Committees.

5. The quorum of the meeting of the authority shall be one-third of the total number of its Members and a Member, other than an ex-officio Member, shall be paid allowances as per the norms decided by the Central Government.

6. The Authority, whenever required may invite other experts as members during its meeting and the pay and allowances such as traveling allowance, dearness allowance, sitting fees, field visit fees and other allowances of the expert-members shall be as determined by the Central Government.

7. The powers of issuing directions under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 19 (E), dated the 06th January, 2011 are delegated to the Authority and the Chairman of the Authority, and in case the directions are issued by the Chairman, such directions shall be placed before the Authority in its next meeting along with a report specifying the reasons for issuing of the directions and status thereof.

8. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the State Government, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government.

9. The Authority shall have the power to direct all concerned planning authorities, field agencies, district collector to ensure the compliance of provisions of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 19(E), dated the 6th January, 2011 and take suitable action in case of violations or non-compliance

10. The Authority shall, for the purposes of maintaining transparency in its working create a dedicated website and post the agenda, minutes, decisions taken, recommendation letters, acts of violations and actions taken on such violations, court matters including the orders of the courts and the approved Coastal Zone Management Plan of the State Government.

11. The Authority shall co-ordinate for implementing conservation projects or projects related to upliftment of coastal population protection or other projects.

12. The State Government shall ensure that sufficient resources, manpower, funds are available to the Authority to discharge its functions effectively as specified in this order and the said Act.

13. The Authority shall have its Bank Account in the National Bank to deposit the funds received from the State Government, etc.

14. The Authority shall take all necessary measures and initiatives including programme execution, research, information dissemination, training, awareness day to day functioning, and advocacy and such other measures and adopt suitable procedures and means including raising resources, funding, and other procedures and means for the same.

15. The Authority shall submit Coastal Regulation Zone maps of the coastal areas in the State as per the procedure laid down in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forests number S.O. 19 (E), dated the 6th January, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) to the National Coastal Zone Management Authority and the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

16. The Authority shall have the power to file complaints, under section 19 of the said Act, against any person for non-compliance of directions issued by it;

17. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

18. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

19. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

20. The Authority shall have its headquarters at Thiruvananthapuram.

[F.No.J-17011/26/2007-IA-III(Pt.)]
BHISWANATH SINHA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.